

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अब अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

पूर्ण राम बनाम पदमा देवी आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए मुकदमा नं. 109/2018

निर्णय दिनांक :- 11.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री हरनेक सिंह पेश
होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91
राजस्व कायदा अधिनियम-1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति
संविदा होने से स्वीकार किया जाकर चक 63 एफ जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या
17/20 के मु.न. 7,33,34,3586/34 की कुल 6.251 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में
से मकाना राम पुत्र हेमा के नाम दर्ज 0.655 हैक्टर नहरी भूमि का, वादी पूर्ण राम पुत्र सरदार
का को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहें।
अनुकानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 01.02.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
जू से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
राजस्थान
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयटी	1450	00	मेहनताना वकली पर	00	--
	1454	00	योग	02	00



क्रमांक: रीडर/ 2022/ 63

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
राजस्थान
श्री करणपुर

दिनांक: 01/02/22

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
राजस्थान
श्री करणपुर